छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर

क्रमांक/1540/परीक्षा /2021 रायपुर, दिनॉक 11 /08/ 2021

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त मान्यता प्राप्त संस्थायें,
छत्तीसगढ़।

विषयः— हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा वर्ष **2022** की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले नियमित परीक्षाओं के लिये ऑन लाईन आवेदन भरने विषयक निर्देश।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा शैक्षणिक सत्र **2021—22** में आयोजित की जाने वाली हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षाओं के आवेदन पत्र मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा मण्डल के पोर्टल **www.vidia.cgbse.nic.in** में दिनॉक **16.08.2021** से **15.09.2021** तक ऑन लाईन भरे जा सकेगें। ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने के विस्तृत निर्देश निम्नानुसार है :—

नियमित छात्रों हेतु ऑन लाईन प्रक्रिया

(1) **हाईस्कूल परीक्षा में बैठने के लिये निम्नानुसार परीक्षार्थी नियमित रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये पात्र होगें :—**

1.1 वर्ष 2021 में कक्षा 9वीं की परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी।

1.2 वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर की कक्षा 10वीं की परीक्षा में प्रथम बार अनुत्तीर्ण छात्र।

1.3 वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर की समकक्ष अन्य मण्डल अथवा परीक्षा निकायों की कक्षा 10वीं की परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा मे प्रथम बार अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी।

1.4 सत्र 2019—20 में कक्षा 9वीं उत्तीर्ण छात्र जो किसी कारणवश कक्षा 10वीं वर्ष 2021 की परीक्षा में सम्मिलित नही हो सके हो ऐसे परीक्षार्थी एक वर्ष अन्तराल(गेप) का शपथ पत्र प्रस्तुत कर सत्र 2021—22 में प्रवेश ले सकेगें।

(2) **हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2022 के लिये नियमित परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र ऑन लाई भरने हेतु प्रक्रिया :—**

क्रं.	**छात्रो की श्रेणी**	**ऑन लाईन आवेदन भरने हेतु प्रक्रिया**
अ)	संस्थागत नियमित छात्र	संस्था में सत्र 2020—21 के कक्षा नवमीं मे अध्ययनरत रहे छात्रों की सूची **Display** होगी, जिसमें से उत्तीर्ण परीक्षार्थियो का चयन किया जाना होगा।
ब)	गतवर्ष के अनुत्तीर्ण छात्र	वर्ष 2021 मे कक्षा 10वीं के अनुत्तीर्ण छात्रो के अनुक्रमांक की प्रविष्टि करने पर छात्र का पूर्ण डेटा स्क्रीन पर **Display** होगा।
स)	अन्य राज्य बोर्ड के छात्र (ग्राह्यता प्रकरण)	बिन्दु क्रमांक 06 अनुसार कार्यवाही किया जाना है।
द)	एक वर्ष का अन्तराल (**Gap**) वाले छात्र	परीक्षा वर्ष 2020 में कक्षा 9वीं के उत्तीर्ण एंव वर्ष 2021 में एक वर्ष अंतराल (**Gap**) वाले छात्र की प्रविष्टि नामांकन क्रमांक के आधार पर किया जावेगा।
इ)	श्रेणी सुधार छात्र	परीक्षा वर्ष 2020 एवं 2021 में मण्डल से कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण परीक्षार्थी को श्रेणी सुधार में सम्मिलित होने हेतु अनुक्रमांक के आधार पर प्रविष्टि किया जावेगा। **(केवल एक बार)**

10/8/21

(3) हायर सेकेण्डरी परीक्षा में निम्नानुसार परीक्षार्थी नियमित रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे :–

3.1 कक्षा 11वीं वर्ष 2021 की परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी ।

3.2 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर की वर्ष 2021 की कक्षा 12वीं में प्रथम बार अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी।

3.3 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, की समकक्षता प्राप्त अन्य बोर्ड अथवा परीक्षा निकायों से वर्ष 2021 की कक्षा 12वीं की परीक्षा में प्रथम बार अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी।

3.4 सत्र 2019–20 मे कक्षा 11वीं उत्तीर्ण छात्र जो किसी कारणवश कक्षा 12वीं वर्ष 2021 की परीक्षा में सम्मिलित नही हो सके हो ऐसे परीक्षार्थी एक वर्ष अन्तराल(**Gap**) का शपथ पत्र प्रस्तुत कर सत्र 2021–22 में प्रवेश ले सकेगें।

(4) हायर सेकेण्डरी परीक्षा वर्ष 2022 के नियमित परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने हेतु प्रक्रिया :–

क्र.	**छात्रो की श्रेणी**	**ऑन लाईन आवेदन भरने की प्रक्रिया**
अ)	संस्थागत नियमित छात्र	वर्ष 2020 में कक्षा 10वीं एवं वर्ष 2021 में कक्षा 11वीं उत्तीर्ण छात्र कक्षा 10वीं के अनुक्रमांको की प्रविष्टि करने पर छात्र का पूर्ण डेटा स्क्रीन पर (**Display**) होगा।
ब)	गतवर्ष के अनुत्तीर्ण छात्र	वर्ष 2021 में कक्षा 12वीं अनुत्तीर्ण छात्रो के अनुक्रमांको की प्रविष्टि करने पर छात्र का पूर्ण डेटा स्क्रीन पर (**Display**) होगा।
स)	अन्य राज्य बोर्ड के छात्र (ग्राह्यता प्रकरण)	बिन्दु क्रमांक 06 अनुसार कार्यवाही किया जाना है।
द)	एक वर्ष का अन्तराल (**Gap**) वाले छात्र	परीक्षा वर्ष 2020 में कक्षा 11वीं के उत्तीर्ण एंव वर्ष 2021 में एक वर्ष अंतराल (**Gap**) वाले छात्र की प्रविष्टि 10वीं के अनुक्रमांक के आधार पर किया जावेगा।
इ)	श्रेणी सुधार छात्र	परीक्षा वर्ष 2020 एवं 2021 में मण्डल से कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण परीक्षार्थी को श्रेणी सुधार में सम्मिलित होने हेतु अनुक्रमांक के आधार पर प्रविष्टि किया जावेगा। (**केवल एक बार**)

(5) विशेष निर्देश :–

5.1 कक्षा 10वीं के आवेदन पत्र भरने के लिये स्क्रीन मे **Display** होने वाली जानकारी, छात्र पिता, माता का नाम, जन्मतिथि, परिवर्तनीय नही है। छात्रो संबंधी शेष समस्त जानकारी संस्था द्वारा प्रविष्टि करते हुए निर्धारित शुल्क भुगतान कर परीक्षा आवेदन पत्र ऑन लाईन भरे जा सकेगें।

5.2 कक्षा 12वीं के आवेदन पत्र भरने के लिये स्क्रीन मे **Display** होने वाली जानकारी, छात्र पिता, माता का नाम, जन्मतिथि, परिवर्तनीय नही है। छात्रो संबंधी समस्त जानकारी संस्था द्वारा प्रविष्टि करते हुए निर्धारित शुल्क भुगतान कर परीक्षा आवेदन पत्र ऑन लाईन भरे जा सकेगें।

अन्य निर्देश

(I) नियमित छात्रों के लिये हाईस्कूल परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ कक्षा 8वीं. एवं 9वीं तथा हायर सेकेण्डरी आवेदन पत्र के साथ कक्षा 10वीं एवं कक्षा 11वीं की अंकसूची, संस्था प्रमुख द्वारा प्रमाणित छायाप्रति लगाना अनिवार्य है। गेप वाले छात्रों से निर्देशानुसार गेप प्रमाण पत्र तथा ग्राह्यता संबंधी प्रकरणो में मण्डल द्वारा ग्राह्यता प्रदान करने के पत्र की प्रतिलिपि भी संलग्न किया जाना आवश्यक है।

(II) यदि किसी छात्र/छात्रा/पिता/माता का नाम तथा फोटो परिवर्तित कर किसी अन्य छात्र का नाम/फोटो लगाया जाता है तो वह मान्य नही होगा, ऐसे आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे।

10/8/21

(III) संस्था में अध्ययनरत् छात्रो के परीक्षा फार्म भेजने के बाद यदि कोई छात्र/छात्रा शाला छोड़ देता/देती है अथवा उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसे छात्रों के आवेदन पत्रो मे छात्र/छात्रा का प्रवेश निरस्त अंकित कर आवेदन पत्र मण्डल को वापस जमा करना होगा।

(IV) यदि किसी छात्र/छात्रा को मण्डल की अनुमति से संस्था में प्रवेश दिया गया हों, तो ऐसे छात्र/छात्रा के आवेदन पत्र के साथ अनुमति पत्र की छायाप्रति लगायें।

(V) नामीनल रोल एवं परीक्षा फार्म में सरल क्रमांक अंकित करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र, प्रवेश सूची के क्रम मे ही प्रस्तुत किये जायें। अपूर्ण या गलत क्रम में प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जावेगें।

(VI) **मण्डल विनियम क्रमॉक 128 के अनुसार आवेदन पत्रों पर नामांकन क्रमांक अंकित करना अनिवार्य है। नामांकन क्रमांक अंकित नही होने की दशा में छात्र का परीक्षा आवेदन पत्र जमा नही किया जायेगा।**

(VII) अनुसूचित जाति/जनजाति छात्र/छात्रो के जाति प्रमाण पत्र दो प्रति में प्राप्त किये जायें, एक प्रति आवेदन पत्र के साथ एवं एक प्रति शुल्क विवरण के साथ जमा करें।

(VIII) प्राचार्य द्वारा आवेदन पत्र प्रेषित करते समय इस आशय का घोषणा पत्र भी भरकर दिया जाना है कि उनके द्वारा मण्डल के नियमानुसार केवल पात्र परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र ही प्रेषित किये गये है।

(6) ग्राहयता संबंधी प्रक्रिया :–

सत्र 2021–22 की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्रो की ग्राह्यता प्रकरणो की जांच कर ग्राह्यता प्रदान करने की कार्यवाही संबंधित संभागीय कार्यालय/सहायक सचिव, परीक्षा संभाग रायपुर द्वारा संपादित की जायेगीं, ऐसे समस्त छात्रो का नामांकन ऑनलाइन स्वयं अपनी देखरेख में दिनॉक 30.09.2021 तक अनिवार्यतः करायें। ग्राह्यता प्रकरणो के ऑनलाईन प्रविष्टि निम्नानुसार किया जाना होगा :–

(I) संस्था द्वारा ग्राह्यता प्रकरण वाले छात्रो की ऑनलाईन एण्ट्री पृथक से की जायेगी। किन्तु जब तक नामांकन छात्रों को डीलिंग के माध्यम से जारी नही किया जाता तब तक इन छात्रों को मण्डल द्वारा परीक्षा में सम्मिलित नही किया जावेगा ।

(II) ऑनलाईन एण्ट्री करने के पश्चात संस्था द्वारा ग्राह्यता शुल्क का ऑनलाईन भुगतान किया जायेगा।

(III) ग्राह्यता शुल्क भुगतान के उपरांत समस्त दस्तावेज के साथ आवेदन पत्र जिले के डीलिंग सहायक के पास जमा करने की कार्यवाही संस्था द्वारा दिनॉक **15.09.2021** तक जमा किया जावेगा। निर्धारित तिथि के पश्चात ग्राह्यता पोर्टल बंद कर दिया जायेगा।

(IV) ग्राह्यता प्रकरणो की स्क्रूटनी परीक्षा सहायक द्वारा करने के उपरांत पात्र छात्रों के नामांकन दिनॉक **30.09. 2021** तक ऑनलाईन दर्ज की जायेगी।

(V) नामांकन क्रमांक जारी करते ही छात्र के परीक्षा आवेदन ऑनलाईन भरने की प्रक्रिया का विकल्प संस्था के लिये प्रारंभ हो जायेगा। संस्था द्वारा आवश्यक जानकारी मिलान कर परीक्षा शुल्क का ऑनलाईन भुगतान किया जायेगा, परीक्षा शुल्क का ऑनलाईन भुगतान दिनॉक **15.10.2021** तक अनिवार्यतः पूर्ण करने के उपरांत ही छात्र परीक्षा हेतु पात्र माना जायेगा।

(VI) इस प्रक्रिया के तहत नामांकन रहित छात्र का परीक्षा आवेदन पत्र संस्था के माध्यम से नही भरे जा सकेगें। ग्राह्यता प्राप्त छात्रो के नामांकन निर्धारित समय–सीमा में डीलिंग द्वारा पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। उक्तानुसार पूर्तियां कर आवेदन पत्र मण्डल में भेजने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संस्था के प्राचार्य का है। आवेदन पत्र निर्देशानुसार प्राप्त नही होने पर यदि आवेदन पत्र निरस्त किये जाते है तो उसके लिये संबंधित प्राचार्य जिम्मेदार होंगे।

परीक्षा आवेदन पत्र

मण्डल द्वारा वर्ष 2021–22 की हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी के नियमित परीक्षार्थियों के आवेदन पत्रो के भरने की प्रक्रिया निम्नानुसार है:–

1. हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा के आवेदन पत्रों को ऑनलाईन प्रिन्ट फार्म क्रमानुसार जमाकर रखें।

10/9/21

2. हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी में प्रवेशित छात्र/छात्रायें जिनके शुल्क प्राप्त हो चुके है, उन छात्रो के आवेदन पत्र मुद्रित कर भिजवायी जायेगी।

3. आवदेन पत्र में निर्धारित स्थान पर छात्रो के हस्ताक्षर एवं प्राचार्य के पद मुद्रा अंकित की जावे। तत्पश्चात मण्डल मुख्यालय/संभागीय कार्यालय में जमा करेगे।

4. आवेदन पत्रो के साथ संलग्न अंकसूची गलत पाये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेगे, और यदि परीक्षा में सम्मिलित हो जाते है तो उनकी परीक्षा निरस्त कर दी जावेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संस्था के प्राचार्य का होगा।

5. नियमित छात्र/छात्राओं के फार्म मे दी गई जानकारी तथा परीक्षा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये पात्रता संबंधी दस्तावेज (अंकसूचियों आदि की प्रतिलिपियॉ) के आधार पर जॉच की जावेगी। आवेदन पत्रो मे पायी गयी त्रुटियों की सूचना आपको दी जावेगी, तत्पश्चात आपके द्वारा सम्बंधित छात्र/छात्रा को उनके आवेदन पत्र पायी गयी त्रुटि की लिखित सूचना दी जावे तथा पत्र की प्रति संबंधित संभागीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से भेजा जाना है यदि किसी छात्र द्वारा यह शिकायत की जाती है कि उसके आवेदन पत्र में पाई गई त्रुटि की जानकारी नही हुई तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्राचार्य का होगा।

6. नेत्रहीन, मूक बधिर तथा स्पाटिक सेरेबल पॉलिसी से पीड़ित सामान्य छात्रो को हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा में किसी एक भाषा में छूट रहेगी।

शुल्क का विवरण

1. नियमित छात्रो की शुल्क प्रति छात्र निम्नानुसार रहेगी :–

   1. परीक्षा शुल्क रूपये 200/–
   2. अंकसूची शुल्क रूपये 70/–
   3. प्रायोगिक शुल्क रूपये 60/– प्रति प्रायोगिक विषय
   4. नामांकन शुल्क रूपये 60/–
   5. पर्यावरण प्रायोगिक शुल्क 60/– हायर सेकेण्डरी परीक्षा हेतु
   6. अतिरिक्त विषय शुल्क रूपये 80/–

   नोट :– विज्ञान संकाय में गणित अथवा जीव विज्ञान तथा कला एवं वाणिज्य संकाय में वाणिज्यक गणित विषय अतिरिक्त विषय के रूप में लेने की पात्रता है।

   नियमित छात्रों से अग्रेषण शुल्क नही लिया जाना है।

2. नियमित छात्र/छात्राओं की शुल्क ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड किये गये बैंक चालान/एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से समस्त मान्यता प्राप्त शासकीय एवं अशासकीय संस्था/प्राचार्य द्वारा **ऑनलाईन फीस** जमा करने की अंतिम तिथि **15.09.2021** तक निर्धारित है। तत्पश्चात नियमित छात्र/छात्राओं के परीक्षा वर्ष 2022 हेतु परीक्षा आवेदन फार्म के साथ आवश्यक अभिलेख(दस्तावेज) संलग्न कर मण्डल मुख्यालय/संभागीय कार्यालय में जमा करें। उक्त कार्य मण्डल द्वारा प्रदत्त पत्र की प्राप्ति के 15 दिवस में जमा करें।

3. **शुल्क रियायतें निम्नानुसार है** :–

1.	नेत्रहीन, मूक बधिर, स्पाटिक सेरेब्रेल पॉलिसी (मानसिक रूप से निःशक्त) से पीड़ित परीक्षार्थी	: आवेदन शुल्क को छोड़कर शेष सम्पूर्ण शुल्क
2.	मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानो के अवकाश प्राप्त शिक्षको एवं राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत छत्तीसगढ़ के शिक्षको के पुत्र/पुत्रियॉ परीक्षार्थी	: आवेदन शुल्क एवं अंकसूची शुल्क को छोड़कर शेष शुल्क (प्रथम अवसर हेतु)
3.	मण्डल के अधिकारी/कर्मचारी के पुत्र/पुत्रियॉ परीक्षाथी	: तदैव

10/8/21

4. मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानो में कार्यरत् शिक्षक / शिक्षिकाओं की पुत्रियॉ : परीक्षा शुल्क मे 50% छूट (प्रथम अवसर हेतु)

5. महिला परीक्षार्थी जिनके अभिभावको की सभी स्त्रोंतो से वार्षिक आय 2,00,000 / –(दो लाख) रूपये से अधिक नही है। : तदैव

6. छत्तीसगढ़ के निवासी अनुसूचित जाति, जनजाति परीक्षार्थी जिनके अभिभावक की समस्त स्त्रोंतो से वार्षिक आय रूपये 2,00,000 / –(दो लाख) से अधिक न हो। : (1) केवल प्रथम अवसर के लिये परीक्षा शुल्क एवं अंकसूची शुल्क से छूट।

(2) संबंधित जिले हेतु शासन द्वारा अनु.जाति / जनजाति की निर्धारित की गई जातियों के परीक्षार्थियों के लिये यह छूट रहेगी।

(3) निर्धारित भेजे गये प्रपत्र अनुसार पूर्ण प्रविष्टियों सह तथा शासन द्वारा अधिकृत अधिकरियों द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है, मूल जाति तथा आय प्रमाण पत्र की प्राचार्य से प्रमाणित छायाप्रति प्रपत्र के साथ संलग्न करें। अपूर्ण अथवा अनाधिकृत अधिकारियों द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र मान्य नही किये जावेगें। प्राचार्य अपने स्तर पर इनकी पड़ताल कर लेवें। अपूर्ण अथवा अमान्य प्रमाण वाले छात्रो से शुल्क प्राप्त कर भेजें।

शुल्क रियायत के पात्र परीक्षार्थी के प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में मूल रूप से संलग्न करना अनिवार्य है। आय का प्रमाण पत्र पिता / अभिभावक जिस कार्यालय में कार्यरत् है, उनके मुख्य अधिकारी का होना आवश्यक है। अन्य प्रकरण में रेवेन्यू अधिकारी का प्रमाणीकरण रहें। प्रमाण पत्रो पर तिथि एवं पद मुद्रा अंकित होना भी आवश्यक है। प्रमाण पत्रो मे यह प्रमाणीकरण होना भी आवश्यक है कि वर्ष 2022 की परीक्षा में बैठने का परीक्षार्थी का प्रथम अवसर है और आय का स्त्रोत नही है। अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी को शुल्क रियायतों की पात्रता नही है।

4. ऑनलाईन पेमेन्ट की पावती की छायाप्रति संलग्न करें।

अनुसूचित जाति / जनजाति के शुल्क विवरण पत्रक

यह विवरण पत्रक मण्डल द्वारा भेजे गये प्रपत्रो पर **<u>दो–दो प्रतियों</u>** में परीक्षावार अलग–अलग बनायें। दोनो प्रतियॉ मण्डल कार्यालय में भेजें और एक सादे कागज पर बनाकर अपनी शाला के अभिलेख में रखें। इस विवरण पत्रक को तैयार करते समय निम्न अनुदेशों का अनिवार्य रूप से पालन करें :–

1. इस विवरण पत्रक में केवल उन्ही परीक्षार्थियों के नाम अंकित किये जाये, जिन्हे अनुसूचित जाति / जनजाति (प्रसारित सूची में दर्शायें गये जनजातियो मे से) के होने कारण शासन के निर्देशानुसार परीक्षा एवं अंकसूची शुल्क से छूट की पात्रता आती है।
2. संबंधित जिले के शासन द्वारा अनुसूचित जाति / जनजाति की निर्धारित की गई जातियों के परीक्षार्थियों को छूट रहेगी।
3. मण्डल की पूर्व परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियो के लिये यह छूट नही है। उनसे सम्पूर्ण शुल्क प्राप्त किया जावे और उनके नाम इस सूची स्टेटमेन्ट में प्रविष्टि नही किये जावें।
4. प्रायोगिक विषय का शुल्क रूपये 60 / – प्रति विषय लेना है। उसमें किसी भी छात्र / छात्रा को छूट नही है।
5. अनुसूचित जाति / जनजाति परीक्षार्थियो के लिये पृथक–पृथक पपत्र तैयार करावें। इन्हे परस्पर सम्मिलित नही किया जावें। प्रपंत्र पर सरल क्रमांक (सीरियल नम्बर) पृथक किया जावें।
6. अनुसूचित जाति / जनजाति परीक्षार्थियों के निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त हुए जाति प्रमाण पत्र, विवरण पत्रक के साथ सरल क्रमांक में दर्ज परीक्षार्थियो के नाम के अनुसार संलग्न करे और उन्हे भी(प्रमाण पत्र) वही सरल क्रमांक दें।

10/3/21

7. जाति प्रमाण पत्रो के प्रपत्र छात्रो से प्राप्त करते समय इसका विशेष ध्यान रखें कि प्रपत्र जाति का, धर्म का एवं परीक्षार्थियों के व उनके परिवार की समस्त स्त्रोतो से वार्षिक आय रूपये 2,00,000/– (दो लाख) से अधिक नही है। का उल्लेख स्पष्ट हो, अनुसूचित जाति अथवा जनजाति का उल्लेख हो तथा प्रपत्र पर अधिकृत किये गये अधिकारी का प्रमाणीकरण हो। सूची से यह देख लिय जाय कि उक्त जाति उस जिले की मान्य जातियों में से है। मूल जाति तथा आय प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र के साथ संलग्न नही किया जाना है, अपितु जाति तथा आय प्रमाण पत्र की आपके द्वारा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाना है।

8. प्रपत्र का प्रारूप ऑनलाईन में है। उसी अनुसार प्रपत्र प्राप्त होना आवश्यक है। प्रारूप के अनुसार प्रपत्र न होने पर छात्रो से पूर्ण शुल्क प्राप्त कर भेजें।

9. इस विवरण पत्रक के प्रत्येक पृष्ठ पर योग कैरी ओव्हर करके महायोग दर्शायें।

10. इस विवरण पत्रक को डॉट पेन से बनाये अथवा टाईप करें, ताकि वांछित प्रविष्टयॉ सुवाच्य रहें।

10/8/21

(प्रो.व्ही.के. गोयल)
सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर